



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022026-270445  
CG-DL-E-25022026-270445

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 957]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 24, 2026/फाल्गुन 5, 1947

No. 957]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 24, 2026/PHALGUNA 5, 1947

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2026

का.आ. 1001(अ).— केंद्रीय सरकार, संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 (1947 के 43) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हैती पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्पों का कार्यान्वयन आदेश, 2024 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश जारी करती है, अर्थात्:-

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम हैती पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्पों का कार्यान्वयन (संशोधन) आदेश, 2026 है।  
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

- हैती पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्पों का कार्यान्वयन आदेश, 2024, में, -

(क) पैरा 2 के, उपपैरा (1) में, खंड (घ) में, "और माली के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 7 के अधीन 2 अक्टूबर 2023 को सुरक्षा परिषद द्वारा अंगीकृत संकल्प 2699 (2023) अभिप्रेत है, जो इस आदेश के साथ क्रमशः उपाबंध I और उपाबंध II के रूप में संलग्न है" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर "हैती के संबंध में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अधीन 2 अक्टूबर, 2023 को सुरक्षा परिषद द्वारा अंगीकृत संकल्प 2699 (2023) और 17 अक्टूबर, 2025 को सुरक्षा परिषद द्वारा अंगीकृत संकल्प 2794 (2025) अभिप्रेत है, जो इस आदेश के साथ क्रमशः उपाबंध I, उपाबंध II और उपाबंध III के रूप में संलग्न है" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) पैरा 3 में उप पैरा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

“उपाबंध I, उपाबंध II और उपाबंध III में क्रमशः दिए गए संकल्प 2653 (2022), संकल्प 2699 (2023) और संकल्प 2794 (2025) जो कि क्रमशः उपाबंध I, उपाबंध II और उपाबंध III में दिए गए हैं, को इस आदेश का भाग माना जाएगा।”

(ग) सारणी में,-

(i) “क. व्यष्टि” शीर्षक के अधीन, उपशीर्षक एचटीआई.007 नाम: 1: लक्सन 2: एलन 3: उपलब्ध नहीं 4: उपलब्ध नहीं तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित उपशीर्षक और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“एचटीआई.008 नाम: 1: दिमित्री 2: हेरार्ड 3: उपलब्ध नहीं 4: उपलब्ध नहीं

पदवी: उपलब्ध नहीं पदनाम : उपलब्ध नहीं जन्मतिथी: उपलब्ध नहीं जन्मस्थान: सुजात उर्फ: लागू नहीं, अल्पज्ञात उर्फ: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं पता: उपलब्ध नहीं सूचीबद्ध 17 अक्टूबर 2025 अन्य जानकारी: उपलब्ध नहीं

एचटीआई.009 नाम: 1: केम्पस 2: सैनन 3: उपलब्ध नहीं 4: उपलब्ध नहीं

पदवी: उपलब्ध नहीं पदनाम : उपलब्ध नहीं जन्मतिथी: उपलब्ध नहीं जन्मस्थान: सुजात उर्फ: उपलब्ध नहीं अल्पज्ञात उर्फ: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं पता: उपलब्ध नहीं सूचीबद्ध 17 अक्टूबर 2025 अन्य जानकारी: उपलब्ध नहीं ,

(ii) “ख. इकाईयां और अन्य समूह” शीर्षक के अधीन निम्नलिखित उपशीर्षक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:-

“एचटीआई.001 नाम: ग्रैन ग्रिफ

नाम (मूल लिपि): उपलब्ध नहीं

अन्य नाम: क ) ग्रैन ग्रिफ डी सैवियन ख ) सैवियन गैंग ग ) बाज़ ग्रैन ग्रिफ पूर्व नाम: उपलब्ध नहीं पता: हैती सूचीबद्ध 08 जुलाई 2025 अन्य जानकारी: लक्सन एलन (एचटीआई.007) ग्रैन ग्रिफ गिरोह का सरगना है। इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष सूचना वेब लिंक: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

एचटीआई.002 नाम: वीव अनसनम

नाम (मूल लिपि): उपलब्ध नहीं

अन्य नाम: क ) लिविंग टुगेदर ख ) जी-9 ग) जी9 परिवार और सहयोगी घ ) जी9 फैनमी ए एलये ड ) जी9 परिवार और सहयोगियों की क्रांतिकारी ताकतें च ) फोस रेवोलिसोने जी9 एन फैनमी ए एलये छ ) जी-पेप ह ज) जी-पीपल पूर्व नाम: पता: हैती सूचीबद्ध 08 जुलाई 2025 अन्य जानकारी: जिमी चेरिज़ियर (एचटीआई.001) वीव अनसनम गिरोह गठबंधन का नेता है। इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष सूचना वेब लिंक: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.”

(घ) उपाबंध II के पश्चात निम्नलिखित को अंतास्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

### “उपाबंध III

#### संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प एस/आरईएस/2794 (2025)

सुरक्षा परिषद द्वारा 17 अक्टूबर, 2025 को अपनी 10018वीं बैठक में अंगीकृत किया गया।

सुरक्षा परिषद,

हैती की संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और एकता के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए,

हैती से संबंधित अपने सभी पूर्व के संकल्पों, विशेष रूप से अपने संकल्पों 2653 (2022), 2743 (2024), 2699 (2023), 2700 (2023), 2751 (2024), 2752 (2024), और 2793 (2025) का स्मरण करते हुए,

सामूहिक हिंसा और अन्य आपराधिक क्रियाकलापों में अत्यधिक बढ़ोतरी के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, जिनमें अपहरण, व्यक्तियों की तस्करी और प्रवासियों की तस्करी, हत्याएं, बलात्संग और यौन दासता सहित, यौन हिंसा और बालकों के विरुद्ध अंधाधुंध सशस्त्र गिरोह हिंसा, विशेष रूप से हत्याएं और अंग-भंग, अपहरण और बालकों के विरुद्ध यौन हिंसा, साथ ही साथ चल रही अपराधियों, समर्थकों और वित्तपोषकों के लिए निरंतर दण्डमुक्ति, भ्रष्टाचार और गिरोहों द्वारा बालकों की भर्ती और इस क्षेत्र के लिए हैती की स्थिति के निहितार्थ सम्मिलित हैं।

इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कि हैती में आयुध और गोला-बारूद की अवैध तस्करी और सशस्त्र गिरोहों को इसकी आपूर्ति, जो लगातार और अस्थिर करने वाले आपराधिक क्रियाकलापों में संलग्न हैं, विधि के शासन और मानवाधिकारों के सम्मान को कमजोर करने में योगदान देती है, मानवीय सहायता के उपबंध में अड़चन डाल सकती है, और इसके व्यापक नकारात्मक मानवीय और सामाजिक-आर्थिक परिणाम हो सकते हैं।

सदस्य देशों से आग्रह करते हुए कि वे आयुध प्रतिबंध के कार्यान्वयन को मजबूत करें, जिसके अंतर्गत हैती के राष्ट्रीय प्राधिकारियों, क्षेत्र के संबंधित देशों और कैरेबियन समुदाय (कैरिक्ॉम) के अपराध और सुरक्षा कार्यान्वयन अभिकरण के साथ उचित सहयोग को बढ़ाना भी है।

सम्यक प्रक्रिया की सुरक्षा की आवश्यकता को पहचानते हुए, और संकल्प 2653 (2022) और पश्चावर्ती संकल्पों के अनुसरण में नामनिर्दिष्ट व्यष्टियों और इकाईयों को सूची से हटाने के लिए निष्पक्ष और स्पष्ट प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए, तथा संकल्प 2744 (2024) के अंगीकरण पर ध्यान देते हुए, जो असूचीयन केंद्र बिंदु के अधिदेश और प्रक्रिया को बेहतर बनाता है, और साथ ही संघर्ष समाधान और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों की भूमिका को भी मान्यता देते हुए,

यह अवधारित करते हुए कि हैती की स्थिति क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई है,

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अधीन कार्य करते हुए,

### यात्रा प्रतिबंध और संपत्ति जब्त

1. इस संकल्प के अंगीकरण की तारीख से एक वर्ष तक संकल्प 2653 (2022) के पैरा 3, पैरा 4, पैरा 5, पैरा 6, पैरा 7, पैरा 8 और पैरा 9 द्वारा अधिरोपित और संकल्प 2752 (2024) में पूर्वतन विस्तारित उपायों को नवीनीकृत करना विनिश्चित करती है, संकल्प 2664 (2022) की पुनः पुष्टि करती है, और पुष्टि करती है कि संकल्प 2653 (2022) के पैरा 15 और पैरा 16 लागू रहेंगे और विनिश्चय करती है कि संकल्प 2653 (2022) के पैरा 15 में यथा वर्णित कार्यों में ऐसे क्रियाकलापों में संलग्न होना सम्मिलित है जो प्राकृतिक संसाधनों के अवैध शोषण या व्यापार के माध्यम से हैती को अस्थिर करती हैं;

### आयुध प्रतिबंध

2. यह विनिश्चय किया जाता है कि इस संकल्प के अंगीकरण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए, सभी सदस्य देश अपने राज्य क्षेत्रों से या उनके माध्यम से, या अपने नागरिकों द्वारा, या अपने ध्वज वाले जलयानों या वायुयानों का उपयोग करके, हैती को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी प्रकार के आयुधों और संबंधित सामग्रियों जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के हथियार और गोला-बारूद भी हैं, की आपूर्ति, विक्रय या अंतरण को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे और सैन्य क्रियाकलापों या किसी भी आयुध और संबंधित सामग्री के प्रावधान, रखरखाव या उपयोग से संबंधित तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, वित्तीय या अन्य सहायता भी सम्मिलित है और जिनमें छोटे आयुध, हल्के आयुध और उनका गोला-बारूद, सैन्य वाहन और उपकरण, अर्धसैनिक उपकरण और उपरोक्त के लिए अतिरिक्त पुर्जे सम्मिलित हैं; इसके अतिरिक्त, यह विनिश्चय किया जाता है कि यह उपाय निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा:

(क) संयुक्त राष्ट्र या संयुक्त राष्ट्र प्राधिकृत मिशन को या उसके द्वारा और किसी सुरक्षा इकाई को या उसके द्वारा आयुधों और संबंधित सामग्री की आपूर्ति, विक्रय या अंतरण, या संबंधित सहायता, प्रशिक्षण, या कार्मिकों का उपबंध, जो हैती सरकार की कमान के अधीन संचालित होता है, जिसका उद्देश्य उन संस्थाओं द्वारा या उनके समन्वय से उपयोग किया जाना है और जिसका उद्देश्य केवल हैती में शांति और स्थिरता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाना है;

(ख) हैती में शांति और स्थिरता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प 2653 (2022) के अनुसार स्थापित समिति द्वारा यथा अग्रिम यथा अनुमोदित हैती को आयुधों और संबंधित सामग्री की अन्य आपूर्तियों, विक्रय या अंतरण, या संबंधित सहायता, प्रशिक्षण या कार्मिकों का उपबंध;

(ग) गैर-घातक सैन्य उपस्करों की आपूर्ति केवल मानवीय या सुरक्षात्मक उपयोग के लिए आशयित है, और संबंधित तकनीकी सहायता या प्रशिक्षण, जब हैती में शांति और स्थिरता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आशयित हो।

3. विनिश्चय किया जाता है कि सदस्य राष्ट्र अपने सीमा नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने सहित हैती में आयुधों और संबंधित सामग्री की अवैध दुर्व्यापार और अपयोजन को रोकने के लिए उचित कदम उठाएंगे;
4. सदस्य राष्ट्रों को अनुरोध किया जाना, जिनमें अग्रयायुध, गोला-बारूद और संबंधित सामग्री को हैती के सुसंगत प्राधिकारियों को या तो विक्रय या दान द्वारा अंतरित करने की योजना बनाना सम्मिलित है, ताकि संभावित अपयोजन को कम करने के लिए उनके आयुधों और गोला-बारूद प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने में उन प्राधिकारियों का समर्थन किया जा सके, जिसमें भौतिक सुरक्षा और संचय प्रबंधन को बढ़ाने के साथ-साथ पश्र्व-परिदान नियंत्रण भी सम्मिलित है;
5. इस बात की पुष्टि करता है कि सदस्य राष्ट्र पैराग्राफ 2 का कार्यव्ययन करेंगे, और पैराग्राफ 2 (ख) के अनुसरण में हैती के सुसंगत प्राधिकारियों के समर्थन में वैध अंतरण के अनुमोदन की सुविधा के लिए समिति के साथ समय पर समन्वय को प्रोत्साहित करेंगे;
6. समिति और उसके विशेषज्ञों, बीआईएनयूएच, यूएनओडीसी, जीएसएफ, यूएनएसओएच और अन्य क्षेत्रीय ढांचे के पैनल के बीच प्रतिबंधों जिनमें हथियार प्रतिबंध उपबंध सम्मिलित है, के कार्यान्वयन पर बेहतर समन्वय को प्रोत्साहित करना ताकि क्षेत्रीय देशों, हैती के सुसंगत प्राधिकारियों और अवैध आयुधों और गोला-बारूद प्रवाह के उपबंधों, स्रोतों और मार्गों पर हैती में आम जनता की जागरूकता बढ़ाई जा सके तथा हैती राष्ट्रीय पुलिस (एचएनपी), हैती के सशस्त्र बलों (एफएडी'एच), और हैती के सीमा और सीमा शुल्क प्राधिकारियों की क्षमता को मजबूत करने के लिए हैती के लिए समर्थन को प्रोत्साहित किया जा सके, और इस संबंध में, यह समिति का स्वागत करता है और प्रतिबंधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की व्यापक सदस्यता के लिए सुसंगत अभिकरणों के साथ नियमित संयुक्त ब्रीफिंग सत्र बुलाने के लिए प्रोत्साहित करता है;
7. हैती सरकार को आयुधों और गोला-बारूद के अपने राष्ट्रीय संचय के सुरक्षित और प्रभावी प्रबंधन, उचित चिह्न, रिकॉर्डिंग, मानीटरी, भंडारण और निपटान को बढ़ाने के माध्यम से एचएनपी और एफएडी'एच की हथियार और गोला-बारूद प्रबंधन क्षमता को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करता है और साथ ही अभिग्रहण किए गए हथियार और गोला-बारूद को सीज करता है और अवैध दुर्व्यापार और अपयोजन को रोकने के लिए सीमा और सीमा शुल्क नियंत्रण को मजबूत करता है और इस संबंध में प्रयासों के लिए संकल्प 2793 (2025) के पैराग्राफ 1 (ड) को पुनः स्मरण करता है;
8. इस बात की पुष्टि करता है कि, संकल्प 2793 (2025) के पैराग्राफ 1 (ड) के अनुरूप, जीएसएफ को आक्रामक संक्रियाओं के भाग के रूप में अभिग्रहण किए गए अवैध आयुधों, गोला-बारूद और अन्य सामग्रियों को लेखाबद्ध करने और निपटान करने या अपने अधिदेश को कार्यावित करने के अनुक्रम में जैसा उचित हो; एचएनपी और हैती के सशस्त्र बलों का समर्थन करना चाहिए।
9. पुष्टि करता है कि इस संकल्प के पैराग्राफ 2 (क) में अंतर्विष्ट छूट, अन्य बातों के साथ-साथ, संयुक्त राष्ट्र, बीआईएनयूएच और जीएसएफ (ट्रांजिशनिंग एमएसएस मिशन सहित) तथा यूएनएसओएच पर जैसा कि संकल्प 2793 (2025), एचएनपी और एफएडी'एच द्वारा प्राधिकृत है; अनुशास्ति समिति और विशेषज्ञों के पैनल पर लागू होती है
10. विनिश्चय किया जाता है कि समिति का अधिदेश, जैसा कि संकल्प 2653 (2022) के पैराग्राफ 19 में उपवर्णित है, इस संकल्प में अधिरोपित किए गए उपायों के संबंध में लागू होगा;
11. विनिश्चय किया जाता है कि इस संकल्प को अपनाने की तारीख से 13 मास की अवधि के लिए विशेषज्ञों के पैनल के अधिदेश जैसा कि संकल्प 2653 (2022) के पैराग्राफ 21 में विनिर्दिष्ट है, का विस्तार किया जाए और इसके अतिरिक्त विनिश्चय किया जाता है कि इस संकल्प में अधिरोपित किए गए उपायों के संबंध में यह अधिदेश भी लागू होगा।
12. समिति को निदेश देता है कि वह संकल्प 2653 (2022) के अनुसरण में नामनिर्दिष्ट व्यष्टियों और इकाईयों की सूची के अद्यतन पर शीघ्रता से विचार करे, विशेषज्ञों के पैनल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों को ध्यान में रखे, जिसमें उन व्यष्टियों और इकाईयों की उस सूची में जोड़ना भी है जो इस संकल्प में अधिरोपित किए गए आयुध प्रतिबंध के उल्लंघन में कार्रवाई करते हैं।
13. अनुरोध है कि विशेषज्ञों का पैनल समिति के साथ चर्चा के पश्चात, 28 मार्च 2026 तक एक अंतरिम रिपोर्ट, 1 सितंबर 2026 तक अंतिम रिपोर्ट और बीच में आवधिक अद्यतन प्रदान करे;

14. सभी सदस्य राष्ट्रों से अनुरोध है कि वे विशेषज्ञों के पैनल और समिति को इस संकल्प के उपबंधों के प्रभावपूर्ण रूप से लागू करने के लिए की गई ठोस कार्रवाइयों के बारे में नियमित रूप से सूचित करें, ताकि विशेषज्ञों के पैनल के रिपोर्टिंग कार्य को सुविधाजनक बनाया जा सके और सदस्य राज्यों के बीच सर्वोत्तम पद्धति को साझा किया जा सके, और विशेषज्ञों के पैनल से अनुरोध किया कि वे सुरक्षा परिषद को अपनी नियमित रिपोर्ट करने में इस संकल्प के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट करें;

15. विशेषज्ञों के पैनल के साथ सहयोग और उचित जानकारी साझा करना सुनिश्चित करने के लिए सभी पक्षों और सभी सदस्य राष्ट्रों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय संगठनों, वीआईएनयूएच, यूएनएसओएच और जीएसएफ से अनुरोध करता है और पैनल के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य करने वाले सभी सदस्य राज्यों से अनुरोध करता है और पैनल को अपने अधिदेश को निष्पादित करने के लिए विशेष रूप से व्यक्तियों, दस्तावेजों और स्थलों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है;

### समीक्षा

16. पुष्टि करता है कि यह हैती में स्थिति को निरंतर समीक्षा के अधीन रखेगा और यह इस संकल्प में अंतर्विष्ट उपायों की उपयुक्तता की समीक्षा करने के लिए तैयार होगा, जिसके अंतर्गत उपायों को मजबूत करना, उपांतरण, निलंबन या उत्पापक भी है, जो निम्नलिखित प्रमुख निर्देश-चिह्न पर प्राप्त प्रगति को ध्यान में रखते हुए किसी भी समय आवश्यक हो :- (क) जब हैती सरकार ने सशस्त्र समूहों और आपराधिक संबंधित क्रियाकलापों को निष्पादित करने के लिए पर्याप्त न्यायिक और विधि का शासन विकसित किया हो; (ख) सशस्त्र समूहों और आपराधिक जालतंत्र द्वारा की गई हिंसा की मात्रा में उत्तरोत्तर कमी, जिसके अंतर्गत साशय मानववध, अपहरण और यौन हिंसा की घटनाओं की संख्या भी है, जैसा कि वार्षिक आधार पर आकलन किया जाता है, जो इस संकल्प को अपनाने से बारह मास की प्रारंभिक अवधि में आरंभ होता है; (ग) आयुधों का अवैध दुर्व्यापार और अपयोजन की घटनाओं की संख्या के साथ-साथ और अवैध वित्तीय प्रवाह में उत्तरोत्तर कमी करना जिसके अंतर्गत अभिग्रहण किए गए आयुधों की संख्या और मात्रा को बढ़ाना भी है।

17. इस संबंध में महासचिव से अनुरोध है, विशेषज्ञों के पैनल के साथ निकट समन्वय में, 1 सितंबर 2026 तक, उपरोक्त पैराग्राफ में स्थापित प्रमुख निर्देश-चिह्न पर प्राप्त प्रगति का निर्धारण किया जाए;

18. हैती के प्राधिकारियों से अनुरोध है कि वे इस संकल्प को अपनाने की तारीख से बारह मास के भीतर और तत्पश्चात वार्षिक रूप से, संकल्प 2700 (2023) के पैराग्राफ 24 में प्रमुख निर्देश-चिह्न पर प्राप्त प्रगति पर हैती से संबंधित संकल्प 2653 (2022) के अनुसरण में गठित समिति को रिपोर्ट करें, और हैती के प्राधिकारियों से आग्रह करता है कि वे विधयी, विनियामन और प्रवर्तन कार्रवाइयों सहित अनुशास्तियों के उपायों को कार्यावित करने के लिए किए गए उपायों पर रिपोर्ट करें;

19. यह विनिश्चय किया जाता है कि उपरोक्त पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट उपाय इस संकल्प के उपाबंध में सूचीबद्ध व्यष्टियों पर भी कार्यावित होंगे;

20. यह विनिश्चय किया जाता है कि मामले का सक्रिय रूप से अभिग्रहण किया जाए।”

[फा. सं. यू. II/152/22/2023]

नवनीता चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव

**टिप्पण** - हैती पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्पों का कार्यान्वयन आदेश, 2024 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का. आ. 445 (अ), तारीख 2 फरवरी 2024 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना संख्यांक का. आ. 2830 (अ), तारीख 24 जून, 2025 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।

## MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

### ORDER

New Delhi, the 24th February, 2026

**S.O. 1001(E).**—In exercise of the powers conferred by section 2 of the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Implementation of the United Nations Security Council Resolutions on Haiti order, 2024, namely:-

1. (1) This Order may be called the Implementation of the United Nations Security Council Resolutions on Haiti (Amendment) Order, 2026.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Implementation of the United Nations Security Council Resolutions on Haiti order, 2024, -

(a) in paragraph 2, in sub-paragraph (1), in clause (d), for the words, figures, brackets and letters “and Resolution 2699 (2023) adopted by the Security Council on the 2nd October, 2023 under Chapter VII of the Charter of the United Nations on Mali appended to this order as Annexure I and Annexure II, respectively”, the words, figures, brackets and letters “, Resolution 2699 (2023) adopted by the Security Council on the 2nd October, 2023 and Resolution 2794 (2025) adopted by the Security Council on the 17th October, 2025 under Chapter VII of the Charter of the United Nations on Haiti appended to this order as Annexure I, Annexure II and Annexure III, respectively” shall be substituted;

(b) in paragraph 3, for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“The Resolutions 2653 (2022), 2699 (2023) and 2794 (2025), which are at Annexure I, Annexure II and Annexure III, respectively, shall be considered as part of this order.”;

(c) in the TABLE,-

(i) under the heading “A. Individuals”, after the sub-heading **HTi.007 Name: 1: LUCKSON 2: ELAN 3: na 4: na** and the entries relating thereto, the following sub-heading and entries shall be inserted, namely:-

“**HTi.008 Name: 1: DIMITRI 2: HERARD 3: na 4: na Title: na Designation: na DOB: na POB: Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 17 Oct. 2025 Other information: na.**

**HTi.009 Name: 1: KEMPES 2: SANON 3: na 4: na Title: na Designation: na DOB: na POB: Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 17 Oct. 2025 Other information: na”;**

(ii) under the heading “B. Entities and other groups”, the following sub-headings and entries shall be inserted, namely:-

“**HTE.001 Name: GRAN GRIF**

**Name (original script): na**

**A.k.a: a) GRAN GRIF DE SAVIEN b) SAVIEN GANG c) BAZ GRAN GRIF F.k.a.: na Address: Haiti Listed on: 08 Jul. 2025 Other information: Luckson Elan (HTi.007) is the leader of the Gran Grif gang. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.**

**HTE.002 Name: VIV ANSANM**

**Name (original script): na**

**A.k.a: a) LIVING TOGETHER b) G-9 c) G9 FAMILY AND ALLIES d) G9 FANMI E ALYE e) THE REVOLUTIONARY FORCES OF THE G9 FAMILY AND ALLIES f) FÒS REVOLISYONÈ G9 AN FANMI E ALYE g) G-PÈP h) G-PEOPLE F.k.a.: na Address: Haiti Listed on: 08 Jul. 2025 Other information: Jimmy Chérizier (HTi.001) is the leader of the Viv Ansanm gang coalition. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.”**

(d) after Annexure II, the following shall be inserted, namely:—

**“Annexure III**

**United Nations Security Council Resolution S/RES/2794 (2025)**

Adopted by the Security Council at its 10018th meeting, on 17 October, 2025

The Security Council,

Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, territorial integrity and unity of Haiti,

Recalling all its previous resolutions on Haiti, in particular its resolutions 2653 (2022), 2743 (2024), 2699 (2023), 2700 (2023), 2751 (2024), 2752 (2024), and 2793 (2025),

Expressing grave concern about the extremely high levels of gang violence and other criminal activities, including kidnappings, trafficking in persons and the smuggling of migrants, homicides, and sexual violence, including rape and sexual slavery, and indiscriminate armed gang violence against children, in particular the killings and maiming, abduction and the perpetration of sexual violence against children, as well as ongoing impunity for perpetrators, enablers, and financiers, corruption and recruitment of children by gangs and the implications of Haiti's situation for the region,

Expressing deep concern that illicit trafficking and diversion of arms and ammunition to armed gangs in Haiti that engage in persistent and destabilizing criminal activities contributes to undermining the rule of law and respect for human rights, can impede the provision of humanitarian assistance, and can have wideranging negative humanitarian and socioeconomic consequences,

Urging Member States to strengthen implementation of the arms embargo, including through enhanced collaboration as appropriate with the Haitian national authorities, relevant countries in the region, and the Caribbean Community (CARICOM) Implementation Agency for Crime and Security, inter alia,

Recognizing the need to safeguard due process, and to ensure fair and clear procedures for delisting individuals and entities designated pursuant to resolution 2653 (2022) and subsequent resolutions, and noting the adoption of resolution 2744 (2024) enhancing the mandate and procedure of the Focal Point for Delisting, while further recognizing the role of UN sanctions in conflict resolution and maintaining international peace and security,

Determining that the situation in Haiti continues to constitute a threat to international peace and security in the region,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

**Travel Ban and Asset Freeze**

1. Decides to renew until one year from the date of adoption of this resolution the measures imposed by paragraphs 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 of resolution 2653 (2022) and previously extended in resolution 2752 (2024), reaffirms resolution 2664 (2022), and affirms that paragraphs 15 and 16 of resolution 2653 (2022) shall continue to apply and decides that actions as described in paragraph 15 of resolution 2653 (2022) include engaging in activities that destabilize Haiti through the illicit exploitation or trade of natural resources;

**Arms Embargo**

2. Decides that, for a period of one year from the date of adoption of this resolution, all Member States shall take the necessary measures to prevent the direct or indirect supply, sale, or transfer to Haiti, from or through their territories or by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, including weapons and ammunition of all types including small arms, light weapons and their ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned; and technical assistance, training, financial or other assistance, related to military activities or the provision, maintenance or use of any arms and related materiel, and further decides that this measure shall not apply to:

(a) The supply, sale, or transfer of arms and related materiel, or provision of related assistance, training, or personnel to or by the UN or a UN-authorized mission and to or by a security unit that operates under the command of the Government of Haiti, intended to be used by or in coordination with those entities and intended solely to further the objectives of peace and stability in Haiti;

(b) Other supplies, sales, or transfers of arms and related materiel, or provision of related assistance, training, or personnel to Haiti as approved in advance by the Committee established pursuant to resolution 2653 (2022) to further the objectives of peace and stability in Haiti;

(c) Supplies of non-lethal military equipment intended solely for humanitarian or protective use, and related technical assistance or training, when intended to further the objectives of peace and stability in Haiti;

3. Decides that Member States shall take appropriate steps to prevent the illicit trafficking and diversion of arms and related materiel in Haiti, including through the strengthening of their border control mechanisms;

4. Calls upon Member States, including those planning to transfer firearms, ammunition and related materiel to relevant Haitian authorities, either by sale or donation, to support those authorities in strengthening their weapons and ammunition management capacities, in order to mitigate potential diversions, including through enhancing physical security and stockpile management, as well as by conducting post-delivery controls;
5. Reaffirms that Member States shall implement paragraph 2, and encourages timely coordination with the Committee to facilitate approval of legitimate transfers in support of relevant Haitian authorities pursuant to paragraph 2(b);
6. Encourages greater coordination among the Committee and its Panel of Experts, BINUH, UNODC, GSF, UNSOH, and other regional frameworks, on the implementation of the sanctions, including arms embargo provisions, to raise awareness of regional countries, relevant Haitian authorities, and the general public in Haiti on the provisions, sources and routes of illicit arms and ammunition flows, and to encourage support for Haiti to strengthen the capacity of the Haitian National Police (HNP), Armed Forces of Haiti (FAd'H), and Haitian border and customs authorities, and in this regard, welcomes and encourages the Committee to convene regular joint briefing sessions with relevant agencies to the wider UN membership to raise awareness of the sanctions;
7. Encourages the Government of Haiti to reinforce the weapons and ammunition management capacity of the HNP and FAd'H through enhancing the safe and effective management, proper marking, recordkeeping, monitoring, storage, and disposal of their national stockpiles of weapons and ammunition, as well as seized weapons and ammunition, and to strengthen border and customs control to curb illicit trafficking and diversion, and further recalls paragraph 1(e) of resolution 2793 (2025) for efforts in this regard;
8. Confirms that, in line with paragraph 1(e) of resolution 2793 (2025), the GSF, should support the HNP and the Haitian armed forces to record and dispose of illicit arms, ammunition, and other materiel, seized as part of offensive operations or in the course of carrying out its mandate, as appropriate;
9. Affirms that the exemption contained in paragraph 2(a) of this resolution applies to, inter alia, the UN, BINUH, and the GSF (inclusive of the transitioning MSS mission) and UNSOH as authorized by resolution 2793 (2025), the HNP, and the FAd'H; Sanctions Committee and Panel of Experts
10. Decides that the mandate of the Committee, as set out in paragraph 19 of resolution 2653 (2022), shall apply with respect to the measures imposed in this resolution;
11. Decides to extend for a period of 13 months from the date of adoption of this resolution the mandate of the Panel of Experts, as specified in paragraph 21 of resolution 2653 (2022), and further decides that this mandate shall also apply with respect to the measures imposed in this resolution;
12. Directs the Committee to consider expeditiously the update of the list of individuals and entities designated pursuant to resolution 2653 (2022), taking into account the reports submitted by the Panel of Experts, including adding to the list individuals and entities that act in violation of the arms embargo imposed in this resolution;
13. Requests that the Panel of Experts provide to the Security Council, after discussion with the Committee, an interim report by 28 March 2026, a final report no later than 1 September 2026, and periodic updates in between;
14. Requests all Member States to regularly inform the Panel of Experts and the Committee the concrete actions they have taken to implement effectively the provisions of this resolution, in order to facilitate the reporting work of the Panel of Experts and the sharing of best practices among member States, and requests the Panel of Experts to report on the implementation of this resolution in its regular reporting to the Security Council;
15. Requests all parties and all Member States, as well as international, regional and subregional organizations, BINUH, UNSOH and GSF to ensure cooperation and appropriate information sharing with the Panel of Experts, and further requests all Member States involved to work to ensure the security of the members of the Panel of Experts and facilitate access, in particular to persons, documents and sites in order for the Panel to execute its mandate;

#### **Review**

16. Affirms that it shall keep the situation in Haiti under continuous review and that it shall be prepared to review the appropriateness of the measures contained in this resolution, including the strengthening, modification, suspension or lifting of the measures, as may be needed at any time in light of progress achieved on the following key benchmarks: (a) When the Government of Haiti has developed adequate judicial and rule of law capacity to address armed groups and criminal-related activities; (b) Progressive reduction in the amount of violence committed by armed groups and criminal networks, including the number of intentional homicides, kidnappings and incidents of sexual violence, as measured on an annual basis, beginning over the initial period of twelve months from adoption of this resolution; (c) Progressive decrease in the number of incidents of illicit trafficking and diversion of arms, as well as illicit financial flows therefrom, including by increasing the number and volume of arms seizures;

17. Requests in this regard the Secretary-General, in close coordination with the Panel of Experts, to conduct, no later than 1 September 2026, an assessment of progress achieved on the key benchmarks established in the paragraph above;
18. Requests the Haitian authorities to report, no later than twelve months from the date of adoption of this resolution and annually thereafter, to the Committee established pursuant to resolution 2653 (2022) concerning Haiti on the progress achieved on the key benchmarks in paragraph 24 of resolution 2700 (2023), and urges Haitian authorities to report on steps it has taken to implement the sanctions measures, including legislative, regulatory, and enforcement actions;
19. Decides that the measures referred to in paragraph 1 above shall also apply to the individuals listed in the annex to this resolution;
20. Decides to remain actively seized of the matter.”.

[F. No. U.II/152/22/2023]

NABANITA CHAKRABARTI, Jt. Secy.

**Note.-** The Implementation of the United Nations Security Council Resolutions on Haiti order, 2024 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 445(E), dated the 2<sup>nd</sup> February, 2024 and last amended *vide* notification number S.O. 2830(E), dated 24<sup>th</sup> June, 2025.